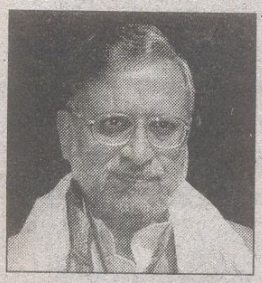

श्री सुशील कुमार मोदी
माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार

श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

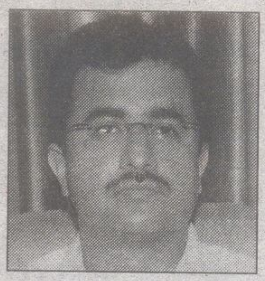

श्री नीतीश मिश्रा
माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक 26 मार्च 2011 (शनिवार) को

प्रखंड स्तर पर इंदिरा आवास दिवस (विशेष वितरण शिविर) का आयोजन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2010-11 में इंदिरा आवास के लक्ष्य को शत प्रतिशत हासिल करने के उद्देश्य से दिनांक 26.03.2011 (शनिवार) को सभी प्रखंड मुख्यालय में इंदिरा आवास दिवस का आयोजन होगा जिसमें इंदिरा आवास की स्थायी प्रतीक्षा सूची से प्राप्तांक के आरोही क्रम में गृह विहीन बी.पी.एल. परिवारों को इंदिरा आवास निर्माण हेतु पासबुक के माध्यम से राशि का वितरण किया जायेगा।

इंदिरा आवास योजना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी

- इंदिरा आवास का आवंटन स्थायी प्रतीक्षा सूची से प्राप्तांक के आरोही क्रम के आधार पर होता है। सरकार द्वारा स्थायी प्रतीक्षा सूची के क्रम को तोड़ने के लिए किसी को अधिकृत नहीं किया गया है।
- आवास निर्माण हेतु 01.04.2010 को एवं उसके बाद स्वीकृत आवासों के लिए प्रति इकाई 45,000 (पैंतालीस हजार) रुपये सहायता राशि देने का प्रावधान है। प्रथम किस्त के रूप में 30,000 (तीस हजार) रुपये एवं द्वितीय किस्त के रूप में 15,000 (पन्द्रह हजार) रुपये दी जाती है।
- औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, रोहतास एवं जमुई (उग्रवाद प्रभावित जिलों) में प्रति इकाई इंदिरा आवास की सहायता राशि 48,500 (अड़तालीस हजार पांच सौ) रुपये देने का प्रावधान है।
- इसके अतिरिक्त लाभुकों को अच्छे घर के निर्माण के लिए 4 प्रतिशत सूद दर पर DRI Scheme के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों से 20,000 (बीस हजार) रुपये ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।
- लाभुक द्वारा आवास का निर्माण छः माह के अंदर स्वयं कर लेना है। घर नहीं बनाने पर राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
- इंदिरा आवास के लाभुक दलालों एवं बिचौलियों से सावधान रहें।
- लाभुक समूह बनाकर बैंक में खाता खोलवाने, राशि की निकासी करने तथा सामग्री क्रय करने जाएं ताकि कोई उन्हें ठगे नहीं एवं परेशान न करें।
- किसी भी सरकारी/गैर सरकारी व्यक्ति द्वारा इंदिरा आवास आवंटित कराने के नाम पर अथवा इंदिरा आवास की राशि का भुगतान कराने के नाम पर नाजायज राशि मांगे जाने पर इसकी सूचना संबंधित जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/थाना प्रभारी को दें।
- शिकायत दर्ज कराने में अगर कोई परेशानी हो तो इसकी सूचना ग्रामीण विकास विभाग के टॉल फ्री दूरभाष संख्या 18003452244 पर दी जा सकती है।

PR-14099 (R.W.D)10-11

हिन्दुस्तान
26/3/2011